पुलिस आदेश सं० २४६/६४

विषय—पुलिस एक्ट १८६१ के अन्तर्गत भगोड़ा या फ़रार अपराधी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई।

ऐसे अनेक दृष्टांत पाये गये हैं, जहाँ आपराधिक कांडों में अभियुक्त पुलिसकर्मी या पदाधिकारी को भगोड़ा या फरार दिखाया गया है।

२. किसी पुलिसकर्मी का भगोड़ा या फरार होना एक बहुत ही असाधारण बात होनी चाहिये। यह बहुत जरूरी है कि ऐसे हर मामले में कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई की जाये।

३. पुलिस एक्ट १८६१ की धारा २६ में ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जो अपने कर्त्तव्य भार से भाग जायें या हट जायें के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। ऐसा पाया गया है कि यह कानूनी कार्रवाई अलग से नहीं की जाती है।

४. निर्देशित किया जाता है कि आपराधिक कांडों में जब भी कोई पुलिसकर्मी अभियुक्त हो और वह अपने पद से गिरफ्तारी से बचने के लिए अनुपस्थित हो जाये, तो उसे भगोड़ा या फरार बताते हुए पुलिस एक्ट १८६१ की धारा २६ के अन्तर्गत कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाये।

५. यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि धारा २६ पुलिस एक्ट १८६१ के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय (Cognizable) नहीं है। अतः इसके लिए अधिकृत पुलिस पदाधिकारी को दण्डाधिकारी के न्यायालय में संज्ञान के लिए प्रतिवेदन समर्पित करना होगा। यह अवश्य किया जाय।

६. पुलिस मैनुअल में अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई के जो प्रावधान है, उनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई भी अवश्य की जाये।

विजय जैन

(विजय जैन)
महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ५७७६/एक्स.एल. (जे)-२३७-६४/पटना — दिनांक ८-१२-६४

प्रतिलिपि—अपर महानिदेशक, विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग/तकनीकी सेवायें, बिहार, पटना।

२. सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी महानिरीक्षक, विशेष शाखा/आरक्षी महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग (आपरेशन)/क्राईम कन्ट्रोल/आरक्षी महानिरीक्षक, रेलवे पुलिस/आरक्षी महानिरीक्षक, सशस्त्र बल/प्रोविजन/आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटर/आरक्षी महानिरीक्षक, क्राईम रेकर्ड ब्यूरो, बिहार, पटना।

३. सभी क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक [सैन्य पुलिस एवं रेलवे सहित]/उप-महानिरीक्षक [वितंतु]।

४, सभी आरक्षी अधीक्षक (रेलवे सहित)/सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस।

५. निबंधक, महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

विजय जैन

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।